झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका संख्या 218/2024

ललन कुमार, उम्र लगभग 23 वर्ष, केतकु महरा उर्फ केटाकु महरा का पुत्र, निवासी बारदेही, पाठाड़ा, डाकघर और थाना-पाठाड़ा,

जिला-देवघर ... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1. झारखंड राज्य

2. गुपाल महतो, हीरा महतो का पुत्र, गांव हिचाबालिया, डाकघर सराधू और थाना-तंडवा, जिला-चतरा

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अंकित कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी, विशेष लोक अभियोजक

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से : श्री परमबीर सिंह बजाज, अधिवक्ता

<u>मौजूद</u>

माननीय श्री न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दाखिल की गई है, जिसमें तंडवा थाना

केस संख्या 68/2020 के सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अमान्य करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट भी शामिल है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 (C), 66 (D) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी और वर्तमान में यह मामला माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतरा की अदालत में लंबित है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सूचनाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता मिलकर इस न्यायालय का ध्यान मध्यस्थता आवेदन संख्या 1419/2024 की ओर आकर्षित करते हैं, जो याचिकाकर्ता और सूचनाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 की अलग-अलग हलफनामों द्वारा समर्थित है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता से 24,500/- रुपये प्राप्त किए हैं और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और पक्षों ने मामले को अदालत के बाहर सुलझा लिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक निजी विवाद है और इसमें कोई सार्वजनिक नीति शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने आगे बताया कि समझौते के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 2 मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इस प्रकार इस आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी क्योंकि समझौते के मद्देनजर याचिकाकर्ता के दोषी ठहराए जाने की संभावना क्षीण है। इस प्रकार, यह प्रार्थना की गई कि तंडवा थाना केस संख्या 68/2020 के सभी आपराधिक कार्यवाही और प्रथम सूचना रिपोर्ट जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतरा की अदालत में लंबित है, रद्द की जाए और अमान्य की जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि पक्षों के बीच समझौते के मद्देनजर, राज्य को तंडवा थाना केस संख्या 68/2020 के सभी आपराधिक कार्यवाही और प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. बार में प्रस्तुत की गई प्रतिकूल प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री की सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद, यह उल्लेखनीय है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पारबतभाई आहीर उर्फ पारबतभाई भीमसिंहभाई कर्मूर एवं अन्य बनाम राज्य गुजरात एवं अन्य के मामले में (2017) 9 SCC 641** में धारा 482 के तहत

उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर विचार किया, और अनुच्छेद संख्या 11 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"**11.** धारा 482 एक सर्वोपरि प्रावधान के साथ शुरू होती है। यह अधिनियम उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को बचाता है, जो एक सर्वोच्च अदालत के रूप में (i) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए; या (ii) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक आदेश देने की है। गयान सिंह [गयान सिंह बनाम राज्य पंजाब, (2012) 10 SCC 303 : (2012) 4 SCC (सिविल) 1188 : (2013) 1 SCC (क्रिमिनल) 160 : (2012) 2 SCC (एल एंड एस) 988] के मामले में, इस न्यायालय के तीन सम्मानित न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर पूर्ववर्ती मामलों की चर्चा की और मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए जिन्हें उच्च न्यायालय को अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में FIR या शिकायत को रद्द करने के निर्णय में विचार करना चाहिए। जिन बातों को उच्च न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए वे हैं: (SCC pp. 342-43, para 61)*
>
> > *"61. ... उच्च न्यायालय का आपराधिक कार्यवाही या FIR या शिकायत को अंतर्निहित अधिकारिता के प्रयोग में रद्द करने का अधिकार, धारा 320 के तहत अपराधों को संधि करने के लिए आपराधिक अदालत को दिए गए अधिकार से भिन्न और अलग है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक और पूर्ण है जिसमें कोई वैधानिक सीमा नहीं है लेकिन इसे ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे कि: (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना, या (ii) किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। जिस मामले में अपराधी और पीड़ित ने अपना विवाद सुलझा लिया हो, उसमें आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या FIR को रद्द करने का अधिकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई विशेष श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। हालांकि, ऐसे अधिकार का प्रयोग करने से पहले, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। मानसिक विकृति वाले गंभीर और घृणित अपराध या हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद सुलझा लिया हो। ऐसे अपराध निजी स्वभाव के नहीं होते और समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इसी तरह, विशेष अधिनियमों जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा अपने पद पर काम करते समय किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच किसी भी संधि को आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार नहीं हो सकता। <u>लेकिन, जिन आपराधिक मामलों में प्रबल और प्रमुख रूप से नागरिक स्वभाव होता है, वे रद्द करने के लिए एक अलग स्थिति में होते हैं, विशेषकर वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, नागरिक, साझेदारी या इसी प्रकार के लेनदेन से संबंधित अपराधों या दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक अपराधों या परिवारिक विवादों के मामलों*</u>

<u>में जहां दोष मूलतः निजी या व्यक्तिगत स्वभाव का होता है और पक्षों ने अपना पूरा विवाद सुलझा लिया हो।</u> इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि इसके दृष्टिकोण से, अपराधी और पीड़ित के बीच संधि के कारण दोष सिद्ध होने की संभावना क्षीण और निहित है और आपराधिक मामले की निरंतरता से अभियुक्त को बड़ी परेशानियों और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और संपूर्ण और पूरी संधि के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसे अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या आपराधिक कार्यवाही के साथ जारी रहना न्याय के हित के विपरीत होगा या नहीं, या क्या आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता कानून के प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी और क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उपयुक्त होगा कि आपराधिक मामला समाप्त कर दिया जाए और यदि उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय इस अधिकारिता में पूर्ण रूप से है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दे।" (जोर दिया गया)

6. रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चलता है कि इस मामले में शामिल अपराध घृणित अपराध नहीं हैं और मानसिक विकृति का कोई गंभीर अपराध शामिल नहीं है, बल्कि इस मामले में शामिल अपराध पक्षों के बीच एक निजी विवाद से संबंधित हैं।

7. अपराधी और पीड़ित के बीच पूर्ण संधि के कारण, याचिकाकर्ता की दोष सिद्ध होने की संभावना क्षीण और निहित है और आपराधिक मामले की निरंतरता याचिकाकर्ता को बड़ी परेशानियों और पूर्वाग्रह का सामना कराएगी और संपूर्ण और पूरी संधि के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द न करने से उसे अत्यधिक अन्याय होगा।

8. इस प्रकार, यह न्यायालय विचार करता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां तंडवा थाना केस संख्या 68/2020 संबंधित जी.आर. संख्या 79/2021 जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल है, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतरा की अदालत में लंबित है, याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के अनुसार, रद्द और अमान्य किया जाए।

9. अतः, तंडवा थाना केस संख्या 68/2020 संबंधित जी.आर. संख्या 79/2021 जिसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट शामिल है, जो वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतरा की अदालत में लंबित है, याचिकाकर्ता के खिलाफ रद्द और अमान्य किया जाता है।

10. नतीजतन, यह क्रिमिनल मिसीलेनियस पिटीशन स्वीकार की जाती है।

11. वर्तमान क्रिमिनल मिसीलेनियस पिटीशन के निपटारे के मद्देनजर, आई.ए. संख्या 1419/2024 भी निपटारी की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, जज)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 28 फरवरी 2024
एएफआर/ अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**